

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 14(3)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक : 29-5-2019

उप महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक),  
कार्यालय महानिदेशक पुलिस,  
राजस्थान, जयपुर

विषय : श्री कपिल गर्ग, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को आवंटित राजकीय आवास के संबंध में।

सदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 53 दिनांक 10.4.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि श्री कपिल गर्ग, आई.पी.एस., महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को इस विभाग के संस्थायक आदेश दिनांक 25.03.2019 द्वारा उनके निवास हेतु आरक्षित राजकीय आवास संख्या 22, रामसिंह रोड, जयपुर किराया मुक्त आवास के रूप में, पद धारण करने की तिथि से पद पर बने रहने तक आवंटित किया गया था।

राजकीय आवास आवंटन नियम 1959 के नियम-18-सी के प्रावधानानुसार श्री कपिल गर्ग, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को पूर्व में आवंटित आवास संख्या 1/11, गांधीनगर में दिनांक 21.01.2019 से 20.02.2019 तक किराया मुक्त आवास की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री कपिल गर्ग, आई.पी.एस., महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय राजस्थान जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 2743/सीएस/2019 दिनांक 13.05.2019 के क्रम में।
4. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।

5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।  
6. प्रीग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

7. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव

—: आदेश :—

श्री कैलाश मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनुआरटीआई) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयता संख्या 111/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2048 है, के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 11(गा)ए के प्रावधानान्तर्गत उनके निवास हेतु चतुर्थ-श्रेणी की वरियतानुसार राजकीय आवास संख्या 4-ए-4, बहुमंजिला, गाँधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है।

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः गिरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास को किराया राजस्थान सचिवल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रवय तथा पत्नी/वध्यों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण अधिकारी—ट्रॉकी उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
  8. श्री कैलाश मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनुआरटीआई) विभाग, शासन सचिवालय से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रुपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काढे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।
  9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,

४०

(चन्दा लाल मीना)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलवटर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (ख-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वारक्ष्य अभियांत्रिकी विभाग, गाँधीनगर जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड, रामवाग सर्किल, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की बैंब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
11. श्री कैलाश मीणा, सहायक अनुभागाधिकारी, प्रशासनिक सुधार (अनुआरटीआई) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्राली।

  
उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित वौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किसाया दर वसूलनीय होगा।

#### प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेश किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्यमें स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पर्सन व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर